रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052021-227003
CG-DL-E-17052021-227003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2021/वैशाख 27, 1943
No. 262] NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2021/VAISAKHA 27, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2021

सा.का.नि. 328(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उप धारा (2) के उप खंड (य छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) (संशोधन) नियम, 2021 है।
   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 के, नियम 4 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

"(1) जहां कोई ई-वाणिज्य इकाई, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित कोई कंपनी या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (42) के अधीन समावेशित कोई विदेशी कंपनी या भारत के बाहर के किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन भारत में स्थित कोई कार्यालय, शाखा या एजेंसी, जैसी की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (v) के उपखंड (iv) में उपबंधित है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के

उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, किसी नोडल अधिकारी या किसी वैकल्पिक ज्येष्ठ नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी, जो भारत का निवासी हो, को नियुक्त करेगा। ”

[फा. सं. जे-10/3/2018-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 462 (अ) तारीख 23 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2021

G.S.R. 328 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (zg) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, namely: -

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, in rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:--

"(1) where an e-commerce entity is a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a foreign company covered under clause (42) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or an office, branch or agency outside India owned or controlled by a person resident in India as provided in sub-clause (iv) of clause (v) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), it shall appoint a nodal officer or an alternate senior designated functionary who is resident in India, to ensure compliance with the provisions of the Act or the rules made thereunder."

[F. No. J-10/3/2018-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R.462 (E), dated the 23rd July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.17 16:21:25 +05'30'